प्रेस नोट थाना राजघाट जनपद गोरखपुर दिनांक 16.07.2022

मादक पदार्थों का शातिर तस्कर 47.60 ग्राम नाजायज स्मैक के साथ गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा अपराधों की रोकथाम मादक पदार्थो के बिक्री व व्यापार के रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान व अपराधियों की गिरफ्तारी" के संबंध में दिए गए निर्देश के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर, व क्षेत्राधिकारी कोतवाली के कुशल पर्यवेक्षण में व थाना प्रभारी संजय कुमार मिश्रा थाना राजघाट जनपद गोरखपुर के कुशल निर्देशन में आज दिनांक 16/07/22 को थाना क्षेत्र में अपराध की रोकथाम के दृष्टिगत चौकी प्रभारी अनूप मिश्र द्वारा 47.60 ग्राम नाजायज स्मैक व बिक्री के 2760/रु. के साथ अभियुक्त अभिषेक उर्फ भोपू पुत्र स्व. पिन्टू निवासी अमरुदमंडी चकरा अव्वल थाना राजघाट जिला गोरखपुर को समय करीब 05:50 बजे प्रातः नेशनल हाईवे अमरूद मंडी इंटरलॉकिंग के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर मुकदमा अपराध संख्या 183/2022 धारा 8/21एनडीपीएस एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त को न्यायिक रिमांड हेतु माननीय न्यायालय भेजा गया।

अभियुक्त का नाम व पता-

अभिषेक उर्फ भोपू पुत्र स्व. पिन्टू निवासी अमरुदमंडी चकरा अव्वल थाना राजघाट जिला गोरखपुर

बरामदगी :

46.70 ग्राम नाजायज स्मैक व बिक्री के 2760/रु.

गिरफ्तारी का स्थान एवं समयः-

नेशनल हाईवे अमरूद मंडी इंटरलॉकिंग के पास समय :05:50 बजे प्रातः

गिरफ्तारी का अभियोगः-

मु.अ. सं.183/22 धारा 8/21 एन डीपीएस एक्ट थाना राजघाट गोरखपुर

गिरफ्तारी करने वाली टीम :-

1-उपनिरीक्षक अनूप कुमार मिश्र थाना राजघाट जनपद गोरखपुर
2--कां.देवेन्द्र यादव थाना राजघाट जनपद गोरखपुर
3--कां.ह्रदयेश सिंह थाना राजघाट जनपद गोरखपुर
4--कां.अर्जुन शर्मा थाना राजघाट जनपद गोरखपुर
5-कां.विनोद कुमार थाना राजघाट जनपद गोरखपुर